



# NEWS ARTICLES/EDITORIALS ON INCOME TAX PROVISION FOR COOPERATIVE SECTOR

## *List of News Articles/Editorials on Income Tax Provisions for Cooperative Sector under Union Budget 2023-24*

### *Index Page*

<b>State</b>	<b>Language</b>	<b>Newspaper</b>	<b>Edition</b>	<b>Date of Publication</b>	<b>Contributor</b>	<b>Index Page No.</b>
<b>Odisha</b>	Odia	Biswabani	All Edition	13.02.2023	ICM Bhubaneswar	1.
<b>Punjab</b>	Punjabi	Desh Sewak	All Edition	13.02.2023	RICM, Chandigarh	2.
<b>Punjab</b>	English	The Aman Sandesh Times	All Edition	13.02.2023	RICM, Chandigarh	3.
<b>Chandigarh</b>	English	State Times	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	4.
<b>Jammu &amp; Kashmir</b>	Urdu	Srinagar Jang	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	5.
	English	Kashmir Age	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	6.
	Urdu	The Daily Uqab	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	7.
	Urdu	Daily Tameel I Irshad	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	8.
	Urdu	Daily Udaan	All Edition	14.02.2023	RICM, Chandigarh	9.
<b>Odisha</b>	Odia	Utkal Mail	All Edition	14.02.2023	ICM, Bhubaneswar	10.
<b>Chhattisgarh</b>	Hindi	दैनिक श्रम बिन्दु	All Edition	15.02.2023	Shri Lakhan Lal Sahoo	11.

<b>Rajasthan</b>	Hindi	सहकार सृष्टि	All Edition	16.02.2023	Shri Nawal Kishore Sharma	12.
<b>Rajasthan</b>	English	सहकार सृष्टि	All Edition	16.02.2023	RICM, Chandigarh	13.
<b>All India</b>	Hindi	CMG Times <a href="https://cmgtimes.com/cooperative-department-got-many-concessions-in-the-budget.html">https://cmgtimes.com/cooperative-department-got-many-concessions-in-the-budget.html</a>	Online	14.02.2023	Editorial Input	14.
<b>Manipur</b>	Manipuri	Paoningkhol	Manipur	17.02.2023	ICM Imphal	15.
<b>Tamil Nadu</b>	Tamil	Amma Murasu	Chennai	18.02.2023	NICM, Chennai	16.
<b>Manipur</b>	Manipuri	Hueiyen Lanpao	Manipur	18.02.2023	ICM, Imphal	17.
<b>Telangana</b>	Telugu	Namaste Telangana	Telangana	21.02.2023	ICM, Hyderabad	18.
<b>Madhya Pradesh</b>	Hindi	Nav Bharat	Indore	21.02.2023	Shri Neelmegh Chaturvedi	19.
	Hindi	Nav Bharat	Satna	21.02.2023		20.
	Hindi	Nav Bharat	Gwalior	21.02.2023		21.
	Hindi	Nav Bharat	Jabalpur	21.02.2023		22.
	Hindi	Nav Bharat	Jabalpur	21.02.2023		23.
	Hindi	Nav Bharat	Bhopal	21.02.2023		24.







# ‘ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ’

ਦਸਨਸ  
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/12 ਫਰਵਰੀ : ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਸੂਦਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 32-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਰਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਧਾਂ/ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮਝਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ

ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 194 ਐਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ

’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ/ਕੰਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ/ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ (ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਾਇਟੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ) ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ/ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਐਸਐਸ/269ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਸੀਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਪੀਸੀਆਰਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਜਮ ਨਾ/ਕਰਜ਼ਾ) ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਚੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਜਮ ਨਾ/ਲੈਣ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।



## Critical insight into Impact of Income Tax Proposals and Relief to Cooperatives in Union Budget 2023

Union Budget presented by Smt. Nirmala Sitaraman, Honourable Finance Minister, Government of India on 1st February, 2023 listed seven priorities of the Union Budget which includes amongst others inclusive development incorporating the cooperative movement as one of the areas to be focused. The relevant new amendments/sections of Income Tax Act related to Cooperatives have been covered in this article for understanding of the Members/stakeholders of Cooperative Societies and avail its benefits for the various financial transactions to be incurred by members or cooperative societies during the financial year. Cash withdrawal limit increased for Cooperative Societies from Rs.1 Crore to 3 Crore. Under Section 194N. The threshold limit for annual cash withdrawals have been increased from Rs.1 crore to Rs.3 crores for cooperative societies. Now cooperative societies can withdraw cash from the bank account during a financial year up to Rs.3 crore without TDS. It will apply to the withdrawal of all the sums of money or an aggregate of sums from a particular bank in a financial year. Any private/public bank/Cooperative Bank/Post Office (Payer) shall deduct tax/TDS @ 2% while making payment to any cooperative societies (Recipient) in cash from the bank account on the amount over of Rs.3 Crore. The limit of Rs.3 Crore in a financial year is with respect to per bank or post office account and not per the taxpayer's bank account. This relief is only available to Cooperative Societies, who have filed their Income Tax Return. Cash transactions/loan limits Increased



only for PACS & PCARDB & its Members. Under Sections 269SS/269T. Cash transactions (deposit/loan) limit of Rs.20000/- has been proposed to raise to Rs.2 Lacs for the Primary Agricultural Credit Societies (\*PCAS) and Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Bank (PCARDB) and its members. Now penalty at 100% will be applicable only exceeds cash transactions (deposit/loan) of Rs.2 lakhs instead of Rs.20,000/-. Relief to Cooperative Sugar Societies. Under Section 155 (19). An amendment was made in Income Tax Act, 1961 in the year 2015 and under amended section 36(1) (xvii) deduction in respect of excess amount of expenditure incurred by a cooperative society for purchase of sugarcane over and above the Statutory Minimum Price (SMP) fixed by Central Government was allowed w.e.f. AY 2016-17 i.e. from Financial Year 2015-16. However, deductions of such expenditure were not allowed for years prior to FY 2015-16 and cooperative sugar societies were constantly asking for the relief for earlier years also. Now new sub-section (19) is proposed to be inserted in section 155 of Income Tax Act to provide that where any deduction in respect of sugarcane purchases, claimed by a cooperative

society and disallowed either, wholly or partially, by income tax department for previous year commencing on or before 1st April 2014 (i.e. Financial Year 2014-15 and before), will be allowed on an application to be made by the cooperative society to the Assessing Officer with request to recompute the total income for such year after allowing deduction to the extent at a price which is equal to or less than price fixed or approved by Government for that previous year. This amendment will be effective from 1st April 2023. Within 4 years from 1st April 2023 cooperative society should submit an application to Assessing Officer with a request to recompute total income of that particular year. Separate application should be submitted for each such year in which there is disallowance of such expenditure. Details of disallowance of such expenses, computation of income etc. together with copies of original assessment order, sugarcane price approval from government; tax paid chalangas etc. should be submitted with the application. Interest on income tax refund should also be requested. Rectification order under section 154 will be passed by the Assessing Officer within one year from the end of the year in which the application is submitted. The approximate amount of refund that will be issued to cooperative sugar factories is Rs.10000 crore plus interest of approximately of the same amount. Relief to New Manufacturing Cooperative Societies. Under Section: 115BAE. New section 115BAE is proposed to be inserted in Income Tax Act, 1961 to provide concessional income tax rate of

15% for Indian cooperative societies from FY 2023-24 (AY 2024-25) on fulfillment of the prescribed conditions stated u/s section 115BAE. The cooperative manufacturing society shall require to exercise the option in the prescribed manner on or before the due date specified for furnishing the first income tax return for selection of the concessional income tax rate. Once exercised the option shall apply to subsequent assessment years and shall not be allowed to be withdrawn for the same or any other previous year. The total income of the cooperative society shall be computed without deductions specified in this section and without set off of any loss or depreciation to any of those deductions, carried forward from earlier assessment years. TDS mismatched amount and relief to Cooperatives including others. Under Section 155 (20). In many instances, a cooperatives/member (Assessee) discloses an income in his return for a particular financial year (previous year) but TDS on such income is deducted by the deductor in subsequent year. In such instance, the assessee can neither claim the amount of TDS in the year in which the income is disclosed as the TDS is not available for claim nor in the year of deduction because the income is already disclosed during earlier year and without income disclosure TDS is not allowed. In order to remove this difficulty, it is proposed to insert a new sub-section (20) in section 155 of Income Tax Act, 1961. This new sub-section shall apply where any income has been included in the return of income furnished by an assessee under section 139 of the Act for any assessment year and TDS

has been deducted on such income and paid to the credit of the Central Government in a subsequent financial year. In such a case the assessee can make application in the prescribed form to the Assessing Officer within two years from the end of the financial year in which such TDS was deducted. The Assessing Officer shall amend the order relevant assessment year under section 154 of the Act. This amendment will take effect from 1st October 2023. Tax slab reduced from 18.5% to 15% for Cooperative Societies. Under Section 115JC. As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum Tax (AMT) for cooperative societies have been reduced from 18.5 % to 15% except a cooperative society whose income is chargeable to tax under section 115BAD. This will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 % of book profits. Importance of filing of ITR's by Members/Cooperatives/ PACS. Under Section 80P Benefits available to PACS:  
i) All PACS are mandatorily required to file Income Tax Returns on or before 31st July and in case of audited PACS 30th September of every next year for the previous Financial Year.  
ii) It is immaterial having profits or losses incurred by PACS.  
iii) Such PACS are eligible to claim 100% of deduction of their profits u/s 80P of Income Tax Act.  
iv) If such PACS incurring losses, same can be carried forward for next 8 subsequent assessment years and such loss can be set off against future profits within 8 years.  
Reduction in MAT (Minimum alternative tax) for cooperatives: As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum tax for cooperatives have been reduced from 18.5 % to 15%. That will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 % of book profits. Rate of surcharge have been reduced from 12% to 7% on the income from 1 crore to 10 crore.  
**Dr. R K Sharma and Dr. Puneet Sudan**  
Director and Faculty, RICM-32, Chandigarh



Astro Speak by:  
**Rajesh Kumar**

Birth Date  
**14th Feb. 2023**





The way is basically perfect. It doesn't require perfecting.

-Bodhidharma



## Impact of IT proposals and relief to Cooperatives in Union Budget 2023

■ DR R K SHARMA & DR PUNEET SUDAN

Union Budget presented by Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Government of India on February 1, 2023 listed seven priorities of the Union Budget which includes amongst others inclusive development incorporating the cooperative movement as one of the areas to be focused. The relevant new amendments/sections of Income Tax Act related to Cooperatives have been covered in this article for understanding of the Members/stakeholders of Cooperative Societies and avail its benefits for the various financial transactions to be incurred by members or cooperative societies during the financial year. Cash withdrawal limit increased for Cooperative Societies from Rs 1 crore to 3 crore. Under Section 194N, the threshold limit for annual cash withdrawals have been increased from Rs 1 crore to Rs 3 crores for cooperative societies. Now cooperative societies can withdraw cash from the bank account during a financial year up to Rs 3 crore without TDS. It will apply to the withdrawal of all the sums of money or an aggregate of sums from a particular bank in a financial year. Any private/public bank/Cooperative Bank/Post Office (Payer) shall deduct tax/TDS @ 2 per cent while making payment to any cooperative societies (Recipient) in cash from the bank account on the amount over of Rs.3 Crore. The limit of Rs.3 Crore in a financial year is with respect to per bank or post office account and not per the taxpayer's bank account. This relief is only available to Cooperative Societies, who have filed their Income Tax Return. Cash transactions/loan limits increased only for PACS & PCARDB & its Members. Under Sections 269SS/269T, Cash transactions (deposit/loan) limit of Rs.20000/- has been proposed to raise to Rs 2 Lakh for Primary Agricultural Credit Societies (PCAS) and Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Bank (PCARDB) and its members. Now penalty at 100 per cent will be applicable only exceeds cash transactions (deposit/loan) of Rs 2 lakh

instead of Rs 20,000. Relief to Cooperative Sugar Societies, under Section 155 (19), an amendment was made in Income Tax Act, 1961 in 2015 and under amended section 36(1) (xvii) deduction in respect of excess amount of expenditure incurred by a cooperative society for purchase of sugarcane over and above the Statutory Minimum Price (SMP) fixed by Central Government was allowed w.e.f., AY 2016-17 i.e. from Financial Year 2015-16. However, deductions of such expenditure were not allowed for years prior to FY 2015-16 and cooperative sugar societies were constantly asking for the relief for earlier years also. Now new sub-section (19) is proposed to be inserted in section 155 of Income Tax Act to provide that where any deduction in respect of sugarcane purchases, claimed by a cooperative society and disallowed either, wholly or partially; by income tax department for previous year commencing on or before 1st April 2014 (i.e. Financial Year 2014-15 and before), will be allowed on an application to be made by the cooperative society to the Assessing Officer with request to recomputed the total income for such year after allowing deduction to the extent at a price which is equal to or less than price fixed or approved by Government for that previous year. This amendment will be effective from 1st April 2023. Within 4 years from 1st April 2023 cooperative society should submit an application to Assessing Officer with a request to recomputed total income of that particular year. Separate application should be submitted for each such year in which there is disallowance of such expenditure. Details of disallowance of such expenses, computation of income etc. together with copies of original assessment order, sugarcane price approval from government; tax paid Challans etc. should be submitted with the application. Interest on income tax refund should also be requested. Rectification order under section 154 will be passed by the Assessing Officer within one year from the end of the year in which the application is submitted. The approximate amount of refund that will be

issued to cooperative sugar factories is Rs.10000 crore plus interest of approximately of the same amount. Relief to New Manufacturing Cooperative Societies under section 115 BAE. New section 115BAE is proposed to be inserted in Income Tax Act, 1961 to provide concessional income tax rate of 15 per cent for Indian cooperative societies from FY 2023-24 (AY 2024-25) on fulfillment the prescribed conditions stated under section 115BAE. The cooperative manufacturing society shall require exercising the option in the prescribed manner on or before the due date specified for furnishing the first income tax return for selection of the concessional income tax rate. Once exercised the option shall apply to subsequent assessment years and shall not be allowed to be withdrawn for the same or any other previous year. The total income of the cooperative society shall be computed without deductions specified in this section and without set off of any loss or depreciation to any of those deductions, carried forward from earlier assessment years. TDS mismatched amount and relief to Cooperatives including others under Section 155 (20). In many instances, a cooperatives/member (Assessee) discloses an income in his return for a particular financial year (previous year) but TDS on such income is deducted by the deductor in subsequent year. In such instance, the assessee can neither claim the amount of TDS in the year in which the income is disclosed as the TDS is not available for claim nor in year of deduction because the income is already disclosed during earlier year and without income disclosure TDS is not allowed. In order to remove this difficulty, it is proposed to insert a new sub-section (20) in section 155 of Income Tax Act, 1961. This new sub-section shall apply where any income has been included in the return of income furnished by an assessee under section 139 of the Act for any assessment year and TDS has been deducted on such income and paid to the credit of the Central Government in a subsequent

financial year. In such a case the assessee can make application in the prescribed form to the Assessing Officer within two years from the end of the financial year in which such TDS was deducted. The Assessing Officer shall amend the order relevant assessment year under section 154 of the Act. This amendment will take effect from 1st October 2023. Tax slab reduced from 18.5 per cent to 15 per cent for Cooperative Societies. Under Section 115JC. As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum Tax (AMT) for cooperative societies have been reduced from 18.5 per cent to 15 per cent except a cooperative society whose income is chargeable to tax under section 115BAD. This will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 per cent of book profits. Importance of filing of ITR's by Members/Cooperatives/PACS. Under Section 50P Benefits available to PACS:

- i) All PACS are mandatorily required to file Income Tax Returns on or before 31st July and in case of audited PACS 30th September of every next year for the previous Financial Year.
  - ii) It is immaterial having profits or losses incurred by PACS.
  - iii) Such PACS are eligible to claim 100 per cent of deduction of their profits under section 80P of Income Tax Act.
  - iv) If such PACS incurring losses, same can carried forward for next 8 subsequent assessment years and such loss can be set off again future profits within 8 years.
- Reduction in MAT (Minimum alternative tax) for cooperatives: As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum tax for cooperatives have been reduced from 18.5 per cent to 15 per cent. That will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 per cent of book profits. Rate of surcharge have been reduced from 12 per cent to 7 per cent on the income from 1 crore to 10 crore.

(The authors are Director and Faculty, RICM-32, Chandigarh).



# کوآپریٹو سوسائٹی کے لئے بجٹ

## میں بے مثال پالسیاں

ونشیکا بھردواج

ریجنل انسٹیٹیوٹ آف کوآپریٹو مینجمنٹ

سیکٹر 32-C چندی گڑھ



کوآپریٹو سوسائٹی کے لئے 2023 کا بجٹ زرعت سے وابستہ افراد اور نوجوانوں کے لئے نئے کاروباروں میں مشغول ہونے کے لئے ایک بہترین کوشش ہے۔ حکومت کی بے شمار اصلاحات اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے لئے نئی پالسیاں بہت زیادہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ مزید آزاد ہو جائیں گے۔ چونکہ ٹیکس کی نئی تجاویز اچھی پہل ہیں، کاروبار کرنے میں آسانی فراہم کرنے والی پالیسیوں کے ساتھ کوآپریٹو ڈھانچے کی مزید تیز تر ترویج نئے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک مکمل ایکو سسٹم دکھائے گی۔ بجٹ، کوآپریٹو سوسائٹیوں سے وابستہ کسان اپنی پیداوار کو صحیح وقت پر ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور مناسب قیمت حاصل کر سکیں گے۔

شوگر کوآپریٹو سوسائٹیوں کے کاشتکاروں کو تخمینہ سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کے لئے بطور اخراجات کی ادائیگی کا دعویٰ کریں گی۔ اس سے انہیں تقریباً 10000 کروڑ روپے کی راحت ملنے کی امید ہے۔

بجٹ میں پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز (PACS) اور پرائمری کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینکوں کے ذریعے نقد رقم جمع کرنے اور قرضوں کی حد لاکھ روپے فی رکن کرنے کی بھی تجویز ہے۔

کوآپریٹو سوسائٹیوں کو نقد رقم نکالنے پر ماخذ پر کٹوتی ٹیکس کے لئے 3 کروڑ روپے کی زیادہ حد فراہم کی گئی ہے، جو کہ اب 1 کروڑ روپے ہے۔ نئی کوآپریٹو سوسائٹیوں کو 31 مارچ 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرتی ہیں ان پر فلیٹ 15 فیصد ٹیکس لگایا جائے گا۔ جو نئی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لئے دستیاب کم شرح ہے۔ موجودہ شرح سے 30 فیصد تک انسانی سرچارج۔ یہ بجٹ کوآپریٹو سوسائٹیوں کو دیہی معیشت کی ترقی کا محور بنائے گا۔ حکومت کوآپریٹو سیکٹر میں خوراک ذخیرہ کرنے کی دنیا کی سب سے بڑی اسکیم لے کر آئی ہے۔



VANSHIKA BHARDWAJ

# Promoting Cooperative Structure

The budget 2023 for cooperative society would come out to be a great endeavour for the agricultural producers and also for the youth engagement in exciting new businesses venture. The government reforms and new policies for cooperative societies have been overwhelming and are expected to liberalize further. As the new tax proposals is good initiative, a more accelerating promotion of the cooperative structure with policies providing the ease of doing business would display a complete echo system to encourage new businesses. "With the plan to set up the world's largest decentralised storage capacity in the budget, farmers associated with cooperative societies will be able to store and sell their produce at the right time and get a fair price," Mr. Shah said. sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them with a relief of almost Rs 10,000 crore,"

The budget also proposes to cap the limit at Rs 2 lakh per member for cash deposits and loans in cash by primary agricultural cooperative societies (PACS), and primary cooperative agriculture and rural development banks. Cooperative societies have been provided a higher limit of Rs 3 crore for tax deducted at source on cash withdrawals, against Rs 1 crore now. new cooperatives that commence manufacturing activities till March 31, 2024 would be taxed at a flat 15% — the low rate available to new manufacturing companies — from the current rate of up to 30% plus surcharge. "This budget will make cooperatives the pivot of development of the rural economy. The government has brought the world's largest food storage scheme in the cooperative sector - storage capacity."

(Author is a faculty member Regional institute of Cooperative Management Chandigarh)

## 2023 کا بجٹ زرعی کاشتکاروں اور نوجوانوں کے لئے نئے دروازے کھول رہا ہے

سریسنگر 14 فروری

کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے 2023 کا بجٹ زرعی کاشتکاروں اور نوجوانوں کے لیے دلچسپ نئے کاروباروں میں مشغول ہونے کے لیے ایک بہترین کوشش ہوگا۔ حکومت کی بے شمار اصلاحات اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے نئی پالیسیاں بہت زیادہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ مزید آزاد ہو جائیں گے۔ چونکہ ٹیکس کی نئی تجاویز اچھی پہل ہیں، کاروبار کرنے میں آسانی فراہم کرنے والی

پالیسیوں کے ساتھ کوآپریٹو ڈھانچے کی مزید تیز تر ترویج نئے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مکمل ایکوسسٹم دکھائے گی۔ بجٹ، کوآپریٹو سوسائٹیوں سے وابستہ کسان اپنی پیداوار کو صحیح وقت پر ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور مناسب قیمت حاصل کر سکیں گے، مسٹر شاہ نے کہا۔ شوگر کوآپریٹو گنے کے کاشتکاروں کو تخمینہ سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کے لیے بطور اخراجات کی ادائیگی کا دعویٰ کریں

گی۔ اس سے انہیں تقریباً 10000 کروڑ روپے کی راحت ملنے کی امید ہے۔ بجٹ میں پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز (PACS) اور پرائمری کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینکوں کے ذریعے نقد رقم جمع کرنے اور قرضوں کی حد 2 لاکھ روپے فی رکن کرنے کی بھی تجویز ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں کو نقد رقم نکالنے پر ماخذ پر کنٹری ٹیکس کے لیے 3 کروڑ روپے کی زیادہ حد فراہم کی گئی ہے، جو کہ اب 1 کروڑ

روپے ہے۔ نئی کوآپریٹو جو 31 مارچ 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرتی ہیں ان پر فلیٹ 15% ٹیکس لگایا جائے گا۔ جو نئی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے دستیاب کم شرح ہے۔ موجودہ شرح سے 30% تک اضافی سرچارج۔ "یہ بجٹ کوآپریٹو کو دیہی معیشت کی ترقی کا محور بنائے گا۔ حکومت کوآپریٹو سیکٹر میں خوراک ذخیرہ کرنے کی دنیا کی سب سے بڑی اسکیم لے کر آئی ہے۔"



## کوآپریٹو سوسائٹی کیلئے بجٹ 2023

# زرعی پیداوار سے منسلک نوجوانوں کیلئے بہترین پالیسی وضع

فیکلٹی - ریجنل انسٹی ٹیوٹ آف  
کوآپریٹو مینجمنٹ سیکٹر 32 - C چندی گڑھ



ونشیکا بھردواج

کوآپریٹو سوسائٹی کیلئے 2023 کا بجٹ زرعی پیداوار سے منسلک افراد کیلئے اور نوجوانوں کو دلچسپ نئے کاروباروں میں مشغول کرنے کیلئے ایک بہترین کاوش کے طور پر سامنے آئے گا۔ حکومت کی بے شمار اصلاحات اور کوآپریٹو سوسائٹیز کیلئے نئی پالیسیاں بہت زیادہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ وہ مزید آزادانہ نوعیت کی ہو جائیں گی۔ چونکہ ٹیکس کی نئی تجاویز اچھی پہل ہیں، کاروبار کرنے میں آسانی فراہم کرنے والی پالیسیوں کے ساتھ کوآپریٹو سوسائٹیز کی مزید ترویج نئے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کیلئے ایک مکمل ایکوسٹم دکھائے گی۔ بجٹ، کوآپریٹو سوسائٹیوں سے وابستہ کسان اپنی پیداوار کو صحیح وقت پر ذخیرہ کرنے اور فروخت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور مناسب قیمت حاصل کر سکیں گے، "شوگر کوآپریٹو گنے کے کاشتکاروں کو تخمینہ سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کیلئے بطور اخراجات کی ادائیگی کا دعویٰ کریں گی۔ اس سے انہیں تقریباً 10,000 کروڑ کی راحت فراہم کرنے کی توقع ہے،" بجٹ میں پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز (PACS) بنیادی کوآپریٹو ایگریکلچر اور دیہی کوآپریٹو بنکوں کے ذریعے نقد رقم جمع کرنے اور قرضوں کیلئے فی ممبر 2 لاکھ روپے کی حد مقرر کرنے کی بھی تجویز ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں کو نقد رقم نکالنے پر ماخذ سے ہی کٹوتی شدہ ٹیکس کیلئے 3 کروڑ روپے کی زیادہ حد فراہم کی گئی ہے، جو کہ اب 1 کروڑ روپے ہے۔ نئی کوآپریٹو جو 31 مارچ 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرتی ہیں ان پر 15% ٹیکس لگایا جائے گا جو نئی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کیلئے موجودہ 30 فیصد سے کم شرح ہے۔" یہ بجٹ کوآپریٹو کو دیہی معیشت کی ترقی کا محور بنائے گا۔ حکومت کوآپریٹو سیکٹر میں دنیا کی سب سے بڑی فوڈ سٹوریج اسکیم لے کر آئی ہے۔

مضامین و مراسلوں میں ظاہر کی گئی رائے خالصتاً مضامین و مراسلوں



# କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩ରେ ଆୟକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଭାବ

ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୨୩ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମବାୟ ସମିତିର ସମସ୍ତ ଅଂଶଦାନୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ ଉପରେ ସମବାୟ ସମିତିଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କାରକର ପାଇଁ ଏହାର ଭାର ଉପରେ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମାଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାଥମିକ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ/ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧାରାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

### ଏସ. ଯୋଷ

ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହେବ । ଆୟକର ବିପକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭୋଧ କରାଯାଇ । ୪) ଧାରା ୧୫୪ ଅଧୀନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଦେଶ

**(କ) ସମବାୟ ସମିତିପାଇଁ ନଗର ଉଠାଣ ସୀମା ୧ କୋଟିରୁ ୩ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି (ଧାରା ୧୯୪ଏନ୍) :**  
୧) ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ନଗର ଉଠାଣ ସୀମା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଦର୍ଦ୍ଦିନୀ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦିନା ଦିନିଏରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଆକାରକୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗର ଉଠାଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସମସ୍ତ ଗାଣି କିମ୍ବା ସମୁଦାୟ ଗାଣି ପ୍ରଦାନକାର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ୨) କୌଣସି ଉପରୋକ୍ତ/ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ/ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ/ବାକସର (ଦେବଦାତା) କୌଣସି ସମବାୟ ସମିତି (ଗ୍ରହଣକାରୀ)ଙ୍କୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗାଣି ଉପରେ ନଗର ଦେୟ ହେବା ସମୟରେ ୨% ହାରରେ ଟିକସ ବିଧି-ସୂଚୀ କରିବେ । ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ପ୍ରତି ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଆକାରର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଆକାରକୁ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ । ଏହି ଉଠାଣ କେବଳ ସମବାୟ ସମିତିପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ବିରୁଦ୍ଧ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

**(ଖ) ନଗର କାରକାର/ରାଣ ସୀମା କେବଳ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପିକାପି ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି (ଧାରା ୨୬୯ଏଏଏଏ/୨୬୯ଏ) :**  
ପ୍ରାଥମିକ ବୃଦ୍ଧି ରାଣ ସୀମା (ପିଏଏଏଏଏ) ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ (ପିକାପି) ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗର କାରକାର (କମ୍ପାଉଣ୍ଡ) ସୀମା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ୧୦୦% କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୨୦,୦୦ - ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗର କାରକାର (କମ୍ପାଉଣ୍ଡ) ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଧାରା ୨୬୯ଏଏଏଏ ନଗର କାରକାର (କମ୍ପାଉଣ୍ଡ) କରିବାର ପଦ୍ଧତି: କୌଣସି ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ (ପ୍ୟାକ୍/ପିକାପି) ରୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ । ୨. ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେବଳ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟକୁ ସମୁଦାୟ: କିମ୍ବା ୨. ଏକକ କାରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ: କିମ୍ବା ୩. ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଧର ସମୟରେ କାରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । ବିଷୟ: ସିଡିଟି ପକ୍ଷରୁ କାରି ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାକ୍‌ହୋଲ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ୍ ନମ୍ବର ୨୫/୨୦୨୨ ତାରିଖ ୩୦ ଷ୍ଟାକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍, ୨୦୨୨ ସମବାୟ ସମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଲିଭେରି / ଡିଲିଭେରିଭିଫ୍ ଟୁଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ ।

**(ଗ) ସମବାୟ ଦିନ ସମିତିକୁ ଆଣ୍ଡି :** ଧାରା ୧୫୫ (୧୯)  
୧) ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଧାରା ୩୬(୧)(୧୬) ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ (ଏସ୍.ଏମ୍) ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡି କିମ୍ବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବାବଦରେ ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମବାୟ ଦିନ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଦର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ମାଗୁଥିଲେ । ୨) ଦର୍ଦ୍ଦିନୀ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୧୫୫ରେ ନୂତନ ଉପଧାରା (୧୯) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଆଣ୍ଡି କିମ୍ବା ସମସ୍ତରେ କୌଣସି ଉଠାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୪ (ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ ୨୦୧୪-୧୫ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଦର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି । ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଉପରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ଦର୍ଷ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଆୟକୁ ପୁନଃଗଣନା କରିବାକୁ ଅନୁଭୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଦର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଠାଣ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ । ୩) ଏହି ସଂଶୋଧନ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାକୁ ଲାଗୁ ହେବ । ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମବାୟ ସମିତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର୍ଷରେ ମୋଟ ଆୟ ପୁନଃଗଣନା କରିବାକୁ ଅନୁଭୋଧ କରି ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦେଶ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଦେଶ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆୟ ଗଣନା ଉପରେ ବିଚାରଣା ସହିତ ମୂଳ ଆୟକର ଆଦେଶ ନକଲ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣ୍ଡି ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ, ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାବଦ ଉପରେ ଆଦେଶ ସହିତ

ଆଦେଶକୁ ଅର୍ଥରେ ଆଦେଶ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରିଥିବା ଦର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଦର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ୫) ସମବାୟ ଦିନ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପରିମାଣର ସୁଧ ସହିତ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।  
**(ଘ) ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଆଣ୍ଡି:** (ଧାରା: ୧୧୫ ବିଏଏ)  
୧) ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ (୨୦୨୪-୨୫) ରୁ କାରଖାନା ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧାରା ୧୧୫ବିଏଏ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ୧୫% ଉଠାଣ ଆୟକର ହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ରେ ନୂତନ ଧାରା ୧୧୫ବିଏଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ୨) ସମବାୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସମିତିକୁ ଉଠାଣ ଆୟକର ହାର ଉପରେ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆୟକର ବିରୁଦ୍ଧ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚାହିଦା ଉପରେ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପାୟରେ ଏହି ବିକଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଦାବ୍ୟରେ କରିବା ପରେ ଏହି ବିକଳ ପରଦର୍ଷ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଦର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ସମବାୟ ସମିତିର ସମୁଦାୟ ଆୟ ଏହି ବିଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନା ହାତରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆୟକର ଦର୍ଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କିମ୍ବା ଅଧିକରଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗଣନା କରାଯିବ ।

**(ଙ) ଟିକିଏଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମାନ ଚାହିଦା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ :** (ଧାରା ୧୫୫ (୨୦) ୧) ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସମବାୟ ସମସ୍ତ (କରଦାତା) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ (ପୂର୍ବ ଦର୍ଷ) ପାଇଁ ଟାକ୍ ବଦଳରେ ଆୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି କିନ୍ତୁ ସେହି ଆୟ ଉପରେ ଟିକିଏଏଏ ପରଦର୍ଷ ଦର୍ଷରେ କରିଥିବା ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟିକିଏଏଏ ଟିକିଏଏଏ ପ୍ରକାଶର ଦର୍ଷରେ ଟିକିଏଏଏ ପରିମାଣ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଟିକିଏଏଏ ଦାବି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାତ ଦର୍ଷରେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆୟ ପୂର୍ବ ଦର୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରକାଶ ଦିନା ଟିକିଏଏଏ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ୨) ଏହି ଅନୁଭୋଧକୁ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ରେ ଧାରା ୧୫୫ରେ ଏକ ନୂତନ ଉପଧାରା (୨୦) ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ଉପଧାରା ପ୍ରକୃତ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଆୟକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର ଧାରା ୧୩୯ ଅଧୀନରେ ଆୟକରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆୟ ଉପରେ ଟିକିଏଏଏ ଦାବି ପରଦର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲେଡ଼ିଂକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୩) ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକିଏଏଏ ସେହି ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ ଏଭଳି ଟିକିଏଏଏ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାର ଦୁଇ ଦର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂର୍ବରେ ଆଦେଶ କରିପାରିବେ । ଆୟକର ଅଧିକାରୀ ଆଇନର ଧାରା ୧୫୪ ଅଧୀନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦର୍ଷ ସମସ୍ତ ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ । ଏହି ସଂଶୋଧନ ୨୦୨୩ ଅନୁଭୋଧ ପହିଲାକୁ ଲାଗୁ ହେବ ।

**(ଚ) ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ଟିକିଏଏଏ ୧୮.୫%ରୁ ୧୫%କୁ ହ୍ରାସ (ଧାରା ୧୧୫କେଏ)**  
୧) ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୧୧୫କେଏ ଅନୁଯାୟୀ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକିଏଏଏ (ଏସ୍.ଏମ୍) ହାର ୧୮.୫%ରୁ ୧୫%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏକ ସମବାୟ ସମିତିଦ୍ୱାରା ହାତର ଆୟ ଧାରା ୧୧୫ ବିଏଏଏ ଅଧୀନରେ ଟିକିଏଏଏ ଆୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ଟିକିଏଏଏ ବୋଧ୍ୟ ବହି ଲାଭର ୩.୫% ହ୍ରାସ ପାଇବ ।  
**(ଛ) ସମସ୍ତ/ସମବାୟ/ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଇଟିଆର ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ରୁଚୁରୁ :** (ଧାରା ୮୦ଏ)  
ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପୁରୁଣା  
୧) ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ରେ ଅତିରୁ ହୋଇଥିବା ଟିକିଏଏଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ୩୧ କିମ୍ବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଅତିରୁ ହୋଇଥିବା ଟିକିଏଏଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଭାରତରେ ଆୟକର ବିରୁଦ୍ଧ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ । ୨) ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭାର କିମ୍ବା କ୍ଷତି ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ୩) ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୮୦ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ପ୍ୟାକ୍ ସେବାକାରୀଙ୍କ ଭାର ୧୦୦% ହ୍ରାସ ଦାବି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ୪) ଏହି ଏଭଳି ପ୍ୟାକ୍ କ୍ଷତି ସହିତ, ତେବେ ପରଦର୍ଷ ୮ ଦର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆୟକର ଦର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ଷତିକୁ ୮ ଦର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ଭାରକୁ ପୁନର୍ଦ୍ଦାନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

**(ଜ) ସମବାୟ ପାଇଁ ଏନଏଟି (ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକଳ ଟିକିଏଏଏ) ହ୍ରାସ:**  
ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୧୧୫କେଏ ଅନୁଯାୟୀ ସମବାୟ ପାଇଁ ବିକଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟିକିଏଏଏ ହାର ୧୮.୫%ରୁ ୧୫%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ଟିକିଏଏଏ ବୋଧ୍ୟ ବହି ଲାଭର ୩.୫% ହ୍ରାସ ପାଇବ । (୧) ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ହାର ହ୍ରାସ: ୧ କୋଟିରୁ ୧୦ କୋଟି ଆୟ ଉପରେ ସରକାରୀ ହାର ୧୨%ରୁ ୬%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

ବାବଦକୁ, ଏମ୍.ଆଇ.ସି.ଏମ୍., ଭୁବନେଶ୍ୱର





## श्री लखन लाल साहू

पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक  
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त समाज 1 फरवरी, 2023 को भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्रीय बजट की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सहकारी आंदोलन को केंद्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में समावेशी विकास शामिल है। सहकारी समितियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रासंगिक नए संशोधनों/धाराओं को सहकारी समितियों के सदस्यों/हितधारकों को समझ के लिए और वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यों या सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए इसका लाभ उठाने के लिए इस लेख में शामिल किया गया है।

(ए) सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई; धारा 194N

i) सहकारी समितियों के लिए वार्षिक नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब सहकारी समितियां एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक खाते से 3 करोड़ रुपये तक की नकदी निकाल सकती हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी विशेष बैंक से सभी राशि या कुल राशि को निकासी पर लागू होगा।

ii) कोई भी निजी/सार्वजनिक बैंक/सहकारी बैंक/झाकधर (भुगतानकर्ता) 3 करोड़ रुपये से अधिक को राशि पर बैंक खाते से नकद में किसी भी सहकारी समितियों (प्राप्तकर्ता) को नकद भुगतान करते समय 2% की दर से कटौती/डीएस काटेगा। एक वित्तीय वर्ष में

# केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर केन्द्रीय बजट 2023 में आयकर प्रस्तावों और सहकारी समितियों को राहत का प्रभाव

3 करोड़ रुपये की सीमा प्रति बैंक या झाकधर खाते के संबंध में है, न कि करदाता के बैंक खाते के अनुसार। यह राहत केवल सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

(बी) नकद लेनदेन/ऋण सीमा केवल PACS और PCARDB और उसके सदस्यों के लिए बढ़ाई धारा 269स/269T

i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) और इसके सदस्यों के लिए 20000/- रुपये की नकद लेनदेन (जमा/ऋण) सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अब 100% जमाना केवल 20,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपये के नकद लेनदेन (जमा / ऋण) से अधिक होगा।

धारा 269 एसटी नकद लेनदेन करने का तरीका (जमा / ऋण): किसी भी व्यक्ति (PACS/PCARDB) को दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं होगी।

एक दिन में एक व्यक्ति से कुल मिलाकर; नहीं तो एकल लेनदेन के संबंध में; नहीं तो किसी घटना या अवसर से संबंधित लेन-देन के संबंध में व्यक्ति।

नोट: सीबीडीटी द्वारा परिपत्र संख्या 25/2022 दिनांक 30 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरणों/दिसंबर, 2022 सहकारी समितियों के मामले में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के संबंध में संदर्भित कर सकता है।

(ग) सहकारी चीनी समितियों को राहत: धारा 155 (19)

द्व) वर्ष 2015 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक संशोधन किया गया था और संशोधित धारा 36 (1) (xii) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के ऊपर गन्ने की खरीद के लिए एक सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय को अतिरिक्त राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 से पहले के वर्षों के लिए इस तरह के व्यय की कटौती की अनुमति नहीं थी और सहकारी चीनी समितियां लगातार पिछले वर्षों के लिए भी राहत की

मांग कर रही थीं।

ii) अब आयकर अधिनियम की धारा 155 में नई उपधारा (19) जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अप्रैल 2014 (यानी वित्तीय वर्ष 2014-15 और उससे पहले) से शुरू होने वाले पिछले वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा गन्ना खरीद के संबंध में किसी भी कटौती, जिस पर सहकारी समिति द्वारा दावा किया गया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से निषेध किया गया है। सहकारी समिति द्वारा आकलन अधिकारी को किए जाने वाले आवेदन पर अनुमति दी जाएगी, जिसमें उस वर्ष के लिए कुल आय को पुनर्गणना करने का अनुरोध किया जाएगा, जो उस मूल्य पर कटौती की अनुमति देता है जो उस पिछले वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य के बराबर या उससे कम है।

iii) यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। 1 अप्रैल 2023 से 4 साल के भीतर सहकारी समिति को उस विशेष वर्ष की कुल आय की फि से गणना करने के अनुरोध के साथ आकलन अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे व्यय की अस्वीकृति हो। आवेदन के साथ ऐसे खर्चों की निकासी, आय की गणना आदि का विवरण मूल मूल्यांकन आदेश की प्रतियों, सरकार से गन्ना मूल्य अनुमोदन, कर भुगतान चालन आदि के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आयकर रिफंड पर व्यय का भी अनुरोध किया जाना चाहिए।

iv) धारा 154 के तहत संशोधन आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

1) सहकारी चीनी कारखानों को जारी की जाने वाली रिफंड की अनुमानित राशि 10000 करोड़ रुपये है और लगभग इतनी ही राशि का व्यय भी है।

(घ) नई विनिर्माण सहकारी समितियों को राहत: अनुधारा: 115BAE

i) आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 115बीई को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि धारा 115बीई के तहत उल्लिखित निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) से भारतीय सहकारी समितियों के लिए 15% की रियायती आयकर दर प्रदान की जा सके।

द्व) सहकारी विनिर्माण समिति को रियायती आयकर दर के चयन के लिए पहला आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले निर्धारित तरीके से विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद विकल्प बदर के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा और इसे उसी या किसी अन्य पिछले वर्ष के लिए वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहकारी समिति को कुल आय की गणना इस धारा में निर्दिष्ट कटौती के बिना और उन कटौतियों में से किसी भी कटौती के लिए किसी भी नुकसान या मूल्यांकन के बिना की जाएगी, जिसे पहले के आकलन वर्षों से अंतर्भूत किया गया था।

(ई) टीडीएस ब्रेकेट राशि और अन्य सहित सहकारी समितियों को राहत: धारा 155 (20)

द्व) कई मामलों में, एक सहकारी समिति / सदस्य (करदाता) एक विशेष वित्तीय वर्ष (पिछले वर्ष) के लिए अपने रिटर्न में आय का खुलासा करता है, लेकिन ऐसी आय पर टीडीएस ब्याद के वर्ष में कटौतीकर्ता द्वारा काटा जाता है। ऐसे उदाहरण में, करदाता न तो उस वर्ष में टीडीएस को राशि का दावा कर सकता है जिसमें आय का खुलासा किया गया है क्योंकि टीडीएस दावे के लिए उपलब्ध नहीं है और न ही कटौती के वर्ष में क्योंकि आय पहले के वर्ष के दौरान पहले ही प्रकट हो चुकी है और आय प्रकटीकरण के बिना टीडीएस की अनुमति नहीं है।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 155 में एक नई उपधारा (20) जोड़ने का प्रस्ताव है। यह नई उप-धारा उन राज्यों में लागू होगी जहां किसी आकलन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत आय को वापसी में कोई आय शामिल की गई है और ऐसी आय पर टीडीएस काटा गया है और अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के क्रेडिट पर भुगतान किया गया है।

ऐसे मामले में करदाता उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर आकलन अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकता है जिसमें इस तरह के टीडीएस काटे गए थे। कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश संत मूल्यांकन वर्ष में संशोधन करेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। (च) सहकारी समितियों के लिए कर स्लैब 18.5% से

घटाकर 15% किया गया धारा 115 जैसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (एमटी) की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है एक सहकारी समिति को छोड़कर जिसकी आय धारा 115 बीएई के तहत कर के लिए उत्तरदायी है, इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ युक्त प्राप्ति के 3.5% तक कम हो जाएगा।

सदस्यों/सहकारी समितियों/पैक्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने का महत्व धारा 80

पीपीएस के लिए उपलब्ध लाभ: सभी पैक्स को अनिवार्य रूप से 31 जुलाई या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर को लेखापरीक्षित पैक्स के मामले में।

पीपीएस को होने वाला लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखती। ऐसे पैक्स आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के तहत अपने मुनाफे की 100% कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

यदि ऐसे पीपीएस को घाटा होता है, तो इसे अगले 8 ब्याद के मूल्यांकन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इस तरह के नुकसान को 8 वर्षों के भीतर भविष्य के मुनाफे को फि से निर्धारित किया जा सकता है।

(ज) सहकारी समितियों के लिए मेट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) में कमी:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जैसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है। इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ युक्त प्राप्ति के 3.5% तक कम हो जाएगा।

(डू) सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर में कमी: 1 करोड़ से 10 करोड़ तक को आय पर सरचार्ज की दर 12% से घटाकर 7% कर दी गई है।

अस्वीकरण/आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के रूप में सहजे जाने पर, उपरोक्त लाभों का लाभ उठाया जा सकता है जिसके लिए सदस्यों / सहकारी समितियों / पीपीएस द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें राहत मांगी गई थी।



सहकार से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम....

# केंद्रीय बजट 2023 में आयकर प्रस्तावों और सहकारी समितियों को राहत का प्रभाव



नवल किशोर शर्मा  
सम्पादक 'सहकार सृष्टि'

1 फरवरी, 2023 को भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में केंद्रीय बजट की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सहकारी आंदोलन को केंद्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में समावेशी विकास शामिल है। सहकारी समितियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रासंगिक नए संशोधनों/धाराओं को सहकारी समितियों के सदस्यों/हितधारकों की समझ के लिए और वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यों या सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए इसका लाभ उठाने के लिए इस लेख में शामिल किया गया है।

(ए) सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई:

### धारा 194N

\* सहकारी समितियों के लिए वार्षिक नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब सहकारी समितियाँ एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक खाते से 3 करोड़ रुपये तक की नकदी निकाल सकती हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी विशेष बैंक से सभी राशि या कुल राशि की निकासी पर लागू होगा।

\* कोई भी निजी/सार्वजनिक बैंक/सहकारी बैंक/डकघर (भुगतानकर्ता) 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर बैंक खाते से नकद में किसी भी सहकारी समितियों (प्राप्तकर्ता) को नकद भुगतान करते समय 2 प्रतिशत की दर से कर/टीडीएस काटेगा। एक वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये की सीमा प्रति बैंक या डकघर खाते के संबंध में है, न कि करदाता के बैंक खाते के अनुसार।

यह राहत केवल सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

\* नकद लेनदेन/ऋण सीमा केवल पीएससीएस और पीसीएआरडीबी और उसके सदस्यों के लिए बढ़ी

### धारा 269एएस/269डी

\* प्राथमिक कृषि ऋण समितियों



(पीसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि और प्राथमिक विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) और इसके सदस्यों के लिए 20000/- रुपये की नकद लेनदेन (जमा/ऋण) सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अब 100 प्रतिशत जुर्माना केवल 20,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपये के नकद लेनदेन (जमा/ऋण) से अधिक होगा।

धारा 269 एस्टी नकद लेनदेन करने का तरीका (जमा/ऋण):

किसी भी व्यक्ति (पीसीएस/पीसीएआरडीबी) को दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं होगी।

\* एक दिन में एक व्यक्ति से कुल मिलाकर, नहीं तो

\* एकल लेनदेन के संबंध में, नहीं तो

\* किसी घटना या अवसर से संबंधित लेन-देन के संबंध में व्यक्ति।

नोट: सीबीडीटी द्वारा परिपत्र संख्या 25/2022 दिनांक 30 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरणों/दिसंबर, 2022 सहकारी समितियों के मामले में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर्स/अनुबंध के संबंध में संबंधित कर सकता है।

\* सहकारी चीनी समितियों को राहत:

धारा 155 (19)

\* वर्ष 2015 में आयकर अधिनियम,

1961 में एक संशोधन किया गया था और संशोधित धारा 36 (1) (8vii) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सांख्यिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के ऊपर गये की खरीद के लिए एक सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की अतिरिक्त राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2015-16 से पहले के वर्षों के लिए इस तरह के व्यय की कटौती की अनुमति नहीं थी और सहकारी चीनी समितियाँ लगातार पिछले वर्षों के लिए भी राहत की मांग कर रही थीं।

\* अब आयकर अधिनियम की धारा 155 में नई उपधारा (19) जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अप्रैल 2014 (यानी वित्तीय वर्ष 2014-15 और उससे पहले) से शुरू होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा ग्राह्य खरीद के संबंध में किसी भी कटौती, जिस पर सहकारी समिति द्वारा दावा किया गया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से निषेध किया गया है। सहकारी समिति द्वारा आकलन अधिकारी को किए जाने वाले आवेदन पर अनुमति दी जाएगी, जिसमें उस वर्ष के लिए कुल आय की पुर्णगणना करने का अनुमति नहीं दी जाएगी। सहकारी समिति की कुल आय की गणना इस धारा में निदिष्ट कटौती के बिना और उन कटौती में से किसी भी कटौती के लिए किसी भी नुकसान या मूल्यांकन के बिना की जाएगी, जिसे पहले के आकलन वर्षों से अक्षेपित किया गया था।

\* यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। 1 अप्रैल 2023 से 4 साल के भीतर सहकारी समिति को उस विशेष वर्ष की कुल आय की फिर से गणना करने के अनुरोध के साथ आकलन अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे व्यय की अस्वीकृति हो। आवेदन के साथ ऐसे खर्चों की निकासी, आय की गणना आदि का विवरण मूल मूल्यांकन आदेश की प्रतियों, सरकार से ग्राह्य मूल्य अनुमोदन, कर भुगतान चालान आदि के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आयकर रिफंड पर ब्याज का भी अनुरोध किया जाना चाहिए।

\* धारा 154 के तहत संशोधन आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर प्रारित किया जाएगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

\* सहकारी चीनी कारखानों को जारी की जाने वाली रिफंड की अनुमानित राशि 10000 करोड़ रुपये है और लगभग इतनी ही राशि का ब्याज भी है।

\* नई विनिर्माण सहकारी समितियों को राहत:

अनुभाग: 115बीई

\* आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 115बीई को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि धारा 115बीई के तहत उद्दिष्ट निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) से भारतीय सहकारी समितियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती आयकर दर प्रदान की जा सके।

\* सहकारी विनिर्माण समिति को रियायती आयकर दर के चयन के लिए पहला आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट निवृत्त तिथि को या उससे पहले निर्धारित तरीके से विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद विकल्प बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा और इसे उसी या किसी अन्य पिछले वर्ष के लिए वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहकारी समिति की कुल आय की गणना इस धारा में निदिष्ट कटौती के बिना और उन कटौती में से किसी भी कटौती के लिए किसी भी नुकसान या मूल्यांकन के बिना

की जाएगी, जिसे पहले के आकलन वर्षों से अक्षेपित किया गया था।

\* टीडीएस बेमेल राशि और अन्य सहित सहकारी समितियों को राहत;

### धारा 155 (20)

\* कोई मामला में, एक सहकारी समिति / सदस्य (करदाता) एक विशेष वित्तीय वर्ष (पिछले वर्ष) के लिए अपने रिटर्न में आय का खुलासा करता है, लेकिन ऐसी आय पर टीडीएस बाद के वर्ष में कटौतीकर्ता द्वारा काटा जाता है। ऐसे उदाहरण में, करदाता न तो उस वर्ष में टीडीएस की राशि का दावा कर सकता है जिसमें आय का खुलासा किया गया है क्योंकि टीडीएस दाये के लिए उपलब्ध नहीं है और न ही कटौती के वर्ष में क्योंकि आय पहले के वर्ष के दौरान पहले ही प्रकट हो चुकी है और आय प्रकटीकरण के बिना टीडीएस की अनुमति नहीं है।

\* इस कठिनाई को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 155 में एक नई उपधारा (20) जोड़ने का प्रस्ताव है। यह नई उप-धारा उन राज्यों में लागू होगी जहाँ किसी आकलन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत आय की वापसी में कोई आय शामिल की गई है और ऐसी आय पर टीडीएस काटा गया है और अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के क्रेडिट पर भुगतान किया गया है।

\* ऐसे मामले में करदाता उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर आकलन अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकता है जिसमें इस तरह के टीडीएस काटे गए थे। कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश संगत मूल्यांकन वर्ष में संशोधन करेगा। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

\* सहकारी समितियों के लिए कर स्लेब 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया

### धारा 115 जेसी

\* आयकर अधिनियम की धारा 115 जेसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है

एक सहकारी समिति को छोड़कर जिसकी आय धारा 115 बीएडी के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ बुरा प्रॉफिट के 3.5 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

\* सदस्यों/सहकारी समितियों/पैक्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने का महत्व धारा 80पी पीएससीएस के लिए उपलब्ध लाभ:

\* सभी पैक्स को अनिवार्य रूप से 31 जुलाई या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर को लेखापरीक्षित पैक्स के मामले में।

\* पीएससीएस को होने वाला लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखती।

\* ऐसे पैक्स आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के तहत अपने मुनाफे की 100 प्रतिशत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

\* यदि ऐसे पीएससीएस को घाटा होता है, तो इसे अगले 8 बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इस तरह के नुकसान को 8 वर्षों के भीतर भविष्य के मुनाफे को फिर से निर्धारित किया जा सकता है।

\* सहकारी समितियों के लिए एमट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) में कमी:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ बुरा प्रॉफिट के 3.5 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

\* सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर में कमी:

1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आय पर सरचार्ज की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है।

अस्वीकरण/आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के रूप में सहजे जाने पर, उपरोक्त कर लाभों का लाभ उठवाया जा सकता है जिसके लिए सदस्यों / सहकारी समितियों / पीएससीएस द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें राहत मांगी गई थी।



# Critical insight into Impact of Income Tax Proposals and Relief to Cooperatives in Union Budget 2023

**Dr. R K Sharma and Dr. Puneet Sudan**  
Director and Faculty, RICM-32,  
Chandigarh

Union Budget presented by Smt. Nirmala Sitaraman, Honourable Finance Minister, Government of India on 1st February, 2023 listed seven priorities of the Union Budget which includes amongst others inclusive development incorporating the cooperative movement as one of the areas to be focused. The relevant new amendments/sections of Income Tax Act related to Cooperatives have been covered in this article for understanding of the Members/stakeholders of Cooperative Societies and avail its benefits for the various financial transactions to be incurred by members or cooperative societies during the financial year. Cash withdrawal limit increased for Cooperative Societies from Rs.1 Crore to 3 Crore. Under Section 194N. The threshold limit for annual cash withdrawals have been increased from Rs.1 crore to Rs.3 crores for cooperative societies. Now cooperative societies can withdraws cash from the bank account during a financial year up to Rs.3 crore without TDS. It will apply to the withdrawal of all the sums of money or an aggregate of sums from a particular bank in a financial year. Any private/public bank/Cooperative Bank/Post Office (Payer) shall deduct tax/TDS @ 2% while making payment to any cooperative societies (Recipient) in cash from the bank account on the amount over of Rs.3 Crore. The limit of Rs.3 Crore in a financial year is with respect to per bank or post office account and not per the taxpayer's bank account. This relief is only available to Cooperative Societies, who have filed their



Dr.R.K.Sharma



Dr.Puneet Sudan

Income Tax Return. Cash transactions/loan limits Increased only for PACS & PCARDB & its Members. Under Sections 269SS/269T. Cash transactions (deposit/loan) limit of Rs.20000/- has been proposed to raise to Rs.2 Lacs for the Primary Agricultural Credit Societies ("PCAS) and Primary Co-operative Agricultural and Rural Development Bank (PCARDB) and its members. Now penalty at 100% will be applicable only exceeds cash transactions (deposit/loan) of Rs.2 lakhs instead of Rs.20, 000/-. Relief to Cooperative Sugar Societies. Under Section 155 (19). An amendment was made in Income Tax Act, 1961 in the year 2015 and under amended section 36(1) (xvii) deduction in respect of excess amount of expenditure incurred by a cooperative society for purchase of sugarcane over and above the Statutory Minimum Price (SMP) fixed by Central Government was allowed w.e.f. AY 2016-17 i.e. from Financial Year 2015-16. However, deductions of such expenditure were not allowed for years prior to FY 2015-16 and cooperative sugar societies were constantly asking for the relief for earlier years also. Now new sub-section (19) is proposed to be inserted in section 155 of Income Tax Act to provide that where any deduction in respect of sugarcane purchases, claimed by a cooperative society and disallowed either,

wholly or partially, by income tax department for previous year commencing on or before 1st April 2014 (i.e. Financial Year 2014-15 and before), will be allowed on an application to be made by the cooperative society to the Assessing Officer with request to recomputed the total income for such year after allowing deduction to the extent at a price which is equal to or less than price fixed or approved by Government for that previous year. This amendment will be effective from 1st April 2023. Within 4 years from 1st April 2023 cooperative society should submit an application to Assessing Officer with a request to recomputed total income of that particular year. Separate application should be submitted for each such year in which there is disallowance of such expenditure. Details of disallowance of such expenses, computation of income etc. together with copies of original assessment order, sugarcane price approval from government; tax paid chalsans etc. should be submitted with the application. Interest on income tax refund should also be requested. Rectification order under section 154 will be passed by the Assessing Officer within one year from the end of the year in which the application is submitted.

The approximate amount of refund that will be issued to cooperative sugar factories is Rs.10000 crore plus interest of approximately of the same amount. Relief to New Manufacturing Cooperative Societies. Under Section: 115BAE. New section 115BAE is proposed to be inserted in Income Tax Act, 1961 to provide concessional income tax rate of 15% for Indian cooperative societies from FY 2023-24 (AY 2024-25) on fulfilment the prescribed conditions stated u/s section 115BAE. The

cooperative manufacturing society shall require to exercise the option in the prescribed manner on or before the due date specified for furnishing the first income tax return for selection of the concessional income tax rate. Once exercised the option shall apply to subsequent assessment years and shall not be allowed to be withdrawn for the same or any other previous year. The total income of the cooperative society shall be computed without deductions specified in this section and without set off of any loss or depreciation to any of those deductions, carried forward from earlier assessment years. TDS mismatched amount and relief to Cooperatives including others. Under Section 155 (20). In many instances, a cooperatives/member (Assessee) discloses an income in his return for a particular financial year (previous year) but TDS on such income is deducted by the deductor in subsequent year. In such instance, the assessee can neither claim the amount of TDS in the year in which the income is disclosed as the TDS is not available for claim nor in the year of deduction because the income is already disclosed during earlier year and without income disclosure TDS is not allowed. In order to remove this difficulty, it is proposed to insert a new sub-section (20) in section 155 of Income Tax Act, 1961. This new sub-section shall apply where any income has been included in the return of income furnished by an assessee under section 139 of the Act for any assessment year and TDS has been deducted on such income and paid to the credit of the Central Government in a subsequent financial year. In such a case the assessee can make application in the prescribed form to the Assessing Officer within two years from the

end of the financial year in which such TDS was deducted. The Assessing Officer shall amend the order relevant assessment year under section 154 of the Act. This amendment will take effect from 1st October 2023. Tax slab reduced from 18.5% to 15% for Cooperative Societies. Under Section 115JC. As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum Tax (AMT) for cooperative societies have been reduced from 18.5 % to 15% except a cooperative society whose income is chargeable to tax under section 115BAD. This will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 % of book profits. Importance of filing of ITR's by Members/Cooperatives/PACS. Under Section 80P Benefits available to PACS:

i) All PACS are mandatorily required to file Income Tax Returns on or before 31st July and in case of audited PACS 30th September of every next year for the previous Financial Year.  
ii) It is immaterial having profits or losses incurred by PACS.  
iii) Such PACS are eligible to claim 100% of deduction of their profits u/s 80P of Income Tax Act.  
iv) If such PACS incurring losses, same can carried forward for next 8 subsequent assessment years and such loss can be set off again future profits within 8 years.

Reduction in MAT (Minimum alternative tax) for cooperatives:

As per section 115JC of Income tax act the rate of Alternative Minimum tax for cooperatives have been reduced from 18.5 % to 15%. That will reduce the tax burden on cooperatives by 3.5 % of book profits. Rate of surcharge have been reduced from 12% to 7% on the income from 1 crore to 10 crore.



# सहकारिता विभाग को मिली बजट में कई रियायतें

सहकारिता को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट की सात प्राथमिकताओं में सूचीबद्ध किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में सहकारी आंदोलन को समावेशी विकास को केंद्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। बजट में सहकारी समितियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रासंगिक नए संशोधनों/धाराओं को सहकारी समितियों के सदस्यों/हितधारकों की समझ के लिए और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यों या सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय लेनदेन में इसका लाभ उठाने के लिए निम्न प्राविधानों को शामिल किया गया है।

यह जानकारी देते हुए इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान के फेकेल्टी मेंबर मनीष मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में...

(ए) सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई है।

## धारा 194N के अंतर्गत

i) सहकारी समितियों के लिए वार्षिक नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब सहकारी समितियां एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक खाते से 3 करोड़ रुपये तक की नकदी निकाल सकती हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी विशेष बैंक से सभी राशि या कुल राशि की निकासी पर लागू होगा।

ii) कोई भी निजी/सार्वजनिक बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर (भुगतानकर्ता) 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पर बैंक खाते से नकद में किसी भी सहकारी समितियों (प्राप्तकर्ता) को नकद भुगतान करते समय 2% की दर से कर/टीडीएस काटेगा। एक वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये की सीमा प्रति बैंक या डाकघर खाते के संबंध में है, न कि करदाता के बैंक खाते के अनुसार।

यह राहत केवल उन सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

(बी) नकद लेनदेन/ऋण सीमा केवल PACS और PCARDB और उसके सदस्यों के लिए बढ़ी

## धारा 269SS/269T के अंतर्गत

i) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीसीएएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) और इसके सदस्यों के लिए 20000/- रुपये की नकद लेनदेन (जमा/ऋण) सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अब 100% जुर्माना केवल 20,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपये के नकद लेनदेन (जमा / ऋण) से अधिक होगा।

## धारा 269 एसटी के अनुसार

नकद लेनदेन करने का तरीका (जमा / ऋण): किसी भी व्यक्ति (PACS/PCARDB) को दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं होगी।

a. एक दिन में एक व्यक्ति से कुल मिलाकर

b. एकल लेनदेन के संबंध में;

c. किसी घटना या अवसर से संबंधित लेन-देन के संबंध में व्यक्ति।

नोट: सीबीडीटी द्वारा परिपत्र संख्या 25/2022 दिनांक 30 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण दिसंबर, 2022 सहकारी समितियों के मामले में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के संबंध में संदर्भित कर सकता है।

(ग) सहकारी चीनी समितियों को राहत:

## धारा 155 (19)

i) वर्ष 2015 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक संशोधन किया गया था और संशोधित धारा 36 (1) (xvii) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के ऊपर गन्ने की खरीद के लिए एक सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की अतिरिक्त राशि के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वित्त वर्ष 2015-16 से पहले के वर्षों के लिए इस तरह के व्यय की कटौती की अनुमति नहीं थी और सहकारी चीनी समितियां लगातार पिछले वर्षों के लिए भी राहत की मांग कर रही थीं।

ii) अब आयकर अधिनियम की धारा 155 में नई उपधारा (19) जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह प्राधान्य दिया जा सके कि 1 अप्रैल 2014 (यानी वित्तीय वर्ष 2014-15 और उससे पहले) से शुरू होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा गन्ना खरीद के संबंध में किसी भी कटौती, जिस पर सहकारी समिति द्वारा दावा किया गया है और आयकर विभाग द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से निषेध किया गया है। सहकारी समिति द्वारा आकलन अधिकारी को किए जाने वाले आवेदन पर अनुमति दी जाएगी, जिसमें उस वर्ष के लिए कुल आय की पुनर्गणना करने का अनुरोध किया जाएगा, जो उस मूल्य पर कटौती की अनुमति देता है जो उस पिछले वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य के बराबर या उससे कम है।

iii) यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। 1 अप्रैल 2023 से 4 साल के भीतर सहकारी समिति को उस विशेष वर्ष की कुल आय की फिर से गणना करने के अनुरोध के साथ आकलन अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें ऐसे व्यय की अस्वीकृति हो। आवेदन के साथ ऐसे खर्चों की निकासी, आय की गणना आदि का विवरण मूल मूल्यांकन आदेश की प्रतियों, सरकार से गन्ना मूल्य अनुमोदन, कर भुगतान चालन आदि के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आयकर रिफंड पर ब्याज का भी अनुरोध किया जाना चाहिए।

iv) धारा 154 के तहत संशोधन आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

v) सहकारी चीनी कारखानों को जारी की जाने वाली रिफंड की अनुमानित राशि 10000 करोड़ रुपये है और लगभग इतनी ही राशि का ब्याज भी है।

(घ) नई विनिर्माण सहकारी समितियों को राहत:

## अनुभाग: 115BAE

i) आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 115बीई को शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि धारा 115बीई के तहत उल्लिखित निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) से भारतीय सहकारी समितियों के लिए 15% की रियायती आयकर दर प्रदान की जा सके।

ii) सहकारी विनिर्माण समिति को रियायती आयकर दर के चयन के लिए पहला आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि को या उससे पहले निर्धारित तरीके से विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद विकल्प बाद के मूल्यांकन वर्षों पर लागू होगा और इसे उसी या किसी अन्य पिछले वर्ष के लिए वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहकारी समिति को कुल आय की गणना इस धारा में निर्दिष्ट कटौती के बिना और उन कटौती में से किसी भी कटौती के लिए किसी भी नुकसान या मूल्यांकन के बिना की जाएगी, जिसे पहले के आकलन वर्षों से अप्रेषित किया गया था।

(ई) टीडीएस बेमेल राशि और अन्य सहित सहकारी समितियों को राहत:

## धारा 155 (20)

i) कई मामलों में, एक सहकारी समिति / सदस्य (करदाता) एक विशेष वित्तीय वर्ष (पिछले वर्ष) के लिए अपने रिटर्न में आय का खुलासा करता है, लेकिन ऐसी आय पर टीडीएस बाद के वर्ष में कटौतीकर्ता द्वारा काटा जाता है। ऐसे उदाहरण में, करदाता न तो उस वर्ष में टीडीएस की राशि का दावा कर सकता है जिसमें आय का खुलासा किया गया है क्योंकि टीडीएस दावे के लिए उपलब्ध नहीं है और न ही कटौती के वर्ष में क्योंकि आय पहले के वर्ष के दौरान पहले ही प्रकट हो चुकी है और आय प्रकटीकरण के बिना टीडीएस की अनुमति नहीं है।

ii) इस कठिनाई को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 155 में एक नई उपधारा (20) जोड़ने का प्रस्ताव है। यह नई उप-धारा उन राज्यों में लागू होगी जहां किसी आकलन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत आय की वापसी में कोई आय शामिल की गई है और ऐसी आय पर टीडीएस काटा गया है और अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के क्रेडिट पर भुगतान किया गया है।

iii) ऐसे मामले में करदाता उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर आकलन अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकता है जिसमें इस तरह के टीडीएस काटे गए थे। कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश संगत मूल्यांकन वर्ष में संशोधन करेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा।

(च) सहकारी समितियों के लिए कर स्लेब 18.5% से घटाकर 15% किया गया धारा 115 जेसी

i) आयकर अधिनियम की धारा 115 जेसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है एक सहकारी समिति को छोड़कर जिसकी आय धारा 115 बीएडी के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ बुक प्रॉफिट के 3.5% तक कम हो जाएगा।

(छ) सदस्यों/सहकारी समितियों/पैक्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने का महत्व

## धारा 80P

पीएसीएस के लिए उपलब्ध लाभ:

- सभी पैक्स को अनिवार्य रूप से 31 जुलाई या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर को लेखापरीक्षित पैक्स के मामले में।
- पीएसीएस को होने वाला लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखती।
- ऐसे पैक्स आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के तहत अपने मुनाफे की 100% कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।
- यदि ऐसे पीएसीएस को घाटा होता है, तो इसे अगले 8 बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इस तरह के नुकसान को 8 वर्षों के भीतर भविष्य के मुनाफे को फिर से निर्धारित किया जा सकता है।

(ज) सहकारी समितियों के लिए मेट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) में कमी:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेसी के अनुसार सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है। इससे सहकारी समितियों पर कर का बोझ बुक प्रॉफिट के 3.5% तक कम हो जाएगा।

(ल) सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर में कमी:

1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आय पर सरचार्ज की दर 12% से घटाकर 7% कर दी गई है।

अस्वीकरण/आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के रूप में सहेजे जाने पर, उपरोक्त कर लाभ ों का लाभ उठाया जा सकता है जिसके लिए सदस्यों / सहकारी समितियों / पीएसीएस द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें राहत मांगी गई थी।



**ইমপেক্‌ট অফ ইনকম টেক্স প্রোপোজাল এন্ড বিলিক ড্র কো-ওপারেটিভস ইন Union Budget 2023**

1st February, 2023 দা India গী Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman, না পুশোনখিবা Union Budget তা Cooperative Movement দা ফংগদবা খুদোচোবশিং মনুংদা listed ওইবা 7 priorities খী মডাংদা লেনেবা। মসিগা মরি লেনেবা খি়ামশিংদা Cooperative দা ফংগদবা ফালিবা ফ্যামফশিং, Financial transactions বশিং, Income Tax কা মরি লেনেবা অনৌবা sections/Amendments শিংনচবিশিং-

**(A) Cooperative Societies শিংগী ওইনা Rs. 1 crore দগী 3 crore ফাওবগী Cash withdrawal limit হেনগৎহেনবা।**

1. Cooperative Societies শিংগী ওইনা Rs. 1 crore দগী 3 crore ফাওবগী চহিগী ওইবা Cash withdrawal limit লৈরে। মসিগা cooperative Society শিংনা FY অমদা TDS য়াওদনা মসোয়গী Bank Account দগী Rs. 3 crore ফাওবগী cash withdrawal য়াহলে। হায়রিবা withdrawal অসি Bank নত্রগা post office account দা লোইনা চহনগনি।
2. হায়রিবা শেনফম অসি withdraw তৌবা মতমদা private/public bank/cooperative bank/post office (Payer) শিংনা Tax/TDS ওইনা 2% খতমক deduct তৌগদবনি। হায়রিবা relief অসি cooperative societies ওইনা Income Tax Return Filed তৌবশিং অদু খতমক ওইনা য়াগনি।

**(B) PACS & PCARDB অমসুং মসোয়গী Members খি ওইনা Cash transactions/loan amount limit তা চাং হেনগৎহেনবা।**

1. PACS (Primary Agricultural Credit Societies) PCARDB (Primary Co-operative Agricultural & Rural Development Bank) অসিদ মসোয়গী Members শিংগী ওইনা Cash transactions (deposit/loan) দা Rs. 20,000/- দগী Rs. 2 lacs ফাওবগী হেনগৎহেনবা খুদোচোব লৈরে।

Section 269 ST.

Cash transaction (Deposit/loan) গী মতামো

(PACS /PCARDB) গী মীওইনা Rs. 2 lakhs তগী হেগা লৌবা য়াদবা মতাং -

- a) নোংদা মীওই অমদগী হেগা লৌবদা
- b) Transaction অমখতলা
- c) মীওই অমদগী event নত্রগা occasion অমদা তৌ transactions গা মরি লেনেবা খৌসোজা।

**(C) Cooperative Sugar Societies শিংগী ওইনা Sec 155(19) গী মখাদা ফংবা Relief :**

1. Income tax Act, 1961 গী Sec 36(1)(xvii) খুংখাং মখাদা 2015 কুমজাদা Amend তৌনুনা চু লৈবগী শেনফমদা Central Govt. না Min Price (SMP) দা লেগা মমসদগী হেগা অহেনেবা য়োনবগী শেনফম কখা জাকপিবি। তৌইগুংসুং হায়রিবা জাকপিবিবা শেনফম অদু FY 2015-16 গী মাংওইনবদি য়াওদে।
2. Income Tax Act কি Sec 155 তা অনৌবা ওইনা Sub-Section (19) হাপচিগুনা মসিগী মখাদা চু লৈবগী শেনফম ককখবদা মগুম ওইনা নত্রগা মচেং ওইনা cooperative Society শিংদা য়াখিদবদু Assessing Officer দা Application অমা খাংগা অমুক হুগা total income অদু recompute তৌবিতুনা Govt না লেগা শেনফমগা মায়হলবা নত্রগা খাং হুংহুংদুনা লেগীলবা হায়জবা য়াচে।
3. হায়রিবা Amendment অসি 1st April 2023 দগী চহনবা হৌগনি। 1st April 2023 দগী চহি 4 ফাওবগী মনুংদা cooperative Society বশিংনা Assessing Officer দা মসোয়গী particular year অদুগী total income recompute তৌনবগী application য়াখিনগদবনি।
4. Section 154 গী মখাদা Assessing Officer অদুনা Application য়াখিনলকপদুগী চহি অমা অগবগী মনুংদা rectification order অদু থাদোকদবনি।
5. মসিগা Cooperative Sugar Factories শিংদা refund ওইনা issue তৌগদবা শেনফম অদু তাওজালা কোতি লিখিং ১০ গা কোচানা ফংলিবা শেনফম অদুগী শেনফেহিগু য়াওগনি।

**(D) অনৌবা Manufacturing Cooperative Societies শিংদা ফংবা Relief : Sec 115 BAC গী মখাদা**

1. Income Tax Act, 1961 দা অনৌবা Sec 115 BAC হাপচিগুনা মসিগী মখাদা শিবা conditions খুদিমেক fulfil তৌনুনা Indian Cooperative Societies শিংগী ওইনা FY-2023-24 (AY 2024-25) কি Tax rate তা 15% ফাওবগী concession ফংহনবা য়াচে।
2. Cooperative Manufacturing Society শিংদা অহানবা income tax return ওইনা concessional income tax rate পলবা অসি শিবিবা মতম অদুগী মাংওইনবা তৌগদবনি। হায়রিবা অসি অমুকপু exercise তৌবা হৌপ্রবদি জাকপিবা assessment চহিগী ওইনসু অমুক তৌনুনা চংকদবনি অদুগা হায়রিবা previous year গী ওইনদি apply তৌবা য়াচে। Cooperative Society শিংগী total income অদু compute তৌবা মতমদা Section অসিগী মখাদা specified ওইবা deductions অমগী loss কি set off নত্রগা deductions শিংগী depreciations, assessment year অদুনা য়াওরোই।

**(E) Sec 155(20) গী মখাদা Cooperative অমদি অতৈদা relief ওইনা TDS mismatched কি ওইনা শেনগম :**

1. মাংওইনবা cooperative/members (Assessee) না particular FY (Previous Year) অদুগী income return অদু TDS ওইনা deduction শিংনা Subsequent year অদুগী deduct তৌনুনা য়াওরশি। মসিগা assessee অদুনা deduct তৌখিবা অদু claim তৌবা য়ারমকে মরমদি TDS অদু Assessee অদুগী income দা মাংজৌনবা disclose তৌবনা TDS অদু Allow তৌরমকে।
2. মখাজা পল্লিবা খুদোচোবশিং অসি খর শাকনবাগীদমতকা Income Tax Act, 1961 অসিদা অনৌবা Sub-Section (20) অসি Sec 155 কি মখাদা হাপচিগুনি। হায়রিবা Section অসি Assessee অমদা Sec 139 গী মখাদা income return ওইনা assessment year অমদি income অদুগী TDS ককখিবা অমসুং Govt. গী subsequent FY গী credit শেনফম গীখিবাটবে apply তৌবা য়াহলি।
3. হায়রিবা case শিং অসিদা Assessee না Assessing Officer দা FY লেখিগুনিগপগী চহি অদুনা ককখিবা TDS অদুগী মতামো চহি ২ গী মনুংদা Application খাংগা মরি লেনেবা য়াকমদা য়াকৎপা য়াই। মসিগা Assessing Officer অদুনা S/154 গী মতম ইয়া মরি লেনেবা খি়ামশা amend তৌনুনা order কোকখবনি। হায়রিবা Amendment অসি 1st October 2023 দগী চহনবা হৌগনি।

**(F) Sec 115 JC গী মখাদা Cooperative Societies শিংগী Tax Slab তা 18.5% দগী 15% ফাওবগী হুংদা**

1. Income Tax Act, কি Sec 115 JC গী মখাদা Alternative Min Tax (AMT) গী rate অসি cooperative Societies শিংগী ওইনা 18.5% দগী 15% ফাওবগী হুংদে। অদুগী Section 115 BAD গী মখাদা Tax Charged তৌবা cooperative societies শিংগী ওইনদি য়াওদে। হায়রিবা অসিদা cooperative শিংগী ওইনা Tax কি ওইবা কোংলুম হুংহুংদা 3.5% গী profit শিদি।

**(G) Cooperative / Members/PACS না ITR's filed তৌবগী কামবা : Sec 80 P PACS তা শিবা খুদোচোবশিং -**

1. PACS শিংগী ওইনা July 31st ফাওবগী মনুংদা Income Tax Return file তৌবা দরকার ওই অদুগা audited PACS শিংগীনা September 30 ফাওবগী মনুংদা previous FY অদুগী every next year অদুগা file তৌগদবনি।
2. PACS কি ওইনা profit/loss কদি মরি লেনরোই।
3. Income Tax Act কি S/80 P মখাদা PACS শিংনা Profit কি ওইনা 100% Tax deduction claim তৌবা য়াগনি।
4. PACS শিংনা করিজরা loss চংগা তরসু, হায়রিবা অদু next 8 subsequent AY তা carry forward তৌনুনা loss অদুগী set off অসি 8 years কি future profit অদুনা শেনখৎপা য়াই।

**(H) Cooperative বকি MAT (Min Alternative Tax) হুংদা :**

Income Tax Act কি Sec 115 JC মখাদা cooperative শিংগী Alternative Min. Tax অসি 18.5% দগী 15% গী হালা হুংহুংদা Tax কি কোংলুম কোকখবদুনা book profit 3.5% দা হেনগৎহুংদি।

**(I) Cooperative কি Surchage Rate হুংহুংদা :**

Cooperative কি ওইনা income 1 crore দগী 10 crore ফাওবগী লৈববদি মনুংদা surcharge rate অদু 12% দগী 7% ফাওবগী হুংহুংদে।

*(INSTITUTE OF CO-OPERATIVE MANAGEMENT, IMPHAL (National Council for Co-operative training, New Delhi, Ministry of Co-operation, Government of India )*



# தேசிய கூட்டுறவு பயிற்சி கவுன்சில் ( இந்திய அரசின் கூட்டுறவு அமைச்சகத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு ) மத்திய படலம் 2023 இல் வருமான வரி முன்மொழிவுகள் மற்றும் கூட்டுறவுகளுக்கு நிவாரணம் ஆகியவற்றின் தாக்கம்.

பிப்ரவரி 1, 2023 அன்று மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் திருமதி நிரமலா சீதாராமன் அவர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டில், கூட்டுறவு இயக்கத்தை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய ஏழு முன்னெடுக்கப்பட்ட பட்டியலிடப்பட்டிருள்ள கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள்/ பங்குதாரர்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், நிதியாண்டில் உறுப்பினர்கள் அல்லது கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு அதன் பயன்களைப் பெறுவதற்கும் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் தொடர்பான வருமான வரிச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய புகிய திருத்தங்கள் / பிரிவுகள் இடக்கட்டுரையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. (ஆ) கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு ரூ.1 கோடியில் இருந்து ரூ.3 கோடியாக உயர்வுபிரிவு 194 என

i) கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் ஆண்டுதேறும் பணம் எடுப்பதற்கான உச்சவரம்பு ரூ.1 கோடியிலிருந்து ரூ.3 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.3 கோடி வரை டிபாஸிட்டு இலாபம் பணம் எடுக்கலாம். இது ஒரு நிதியாண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியிலிருந்து அனைத்துத் தொகைகளையும் அல்லது மொத்தத் தொகையையும் திரும்பப் பெறுவதற்கும் பொருந்தும். லீவி எந்தவொரு தனியார் / பொது வங்கி / கூட்டுறவு வங்கி / அஞ்சலகம் (செலுத்துபவர்) எந்தவொரு கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கும் (பெறுநர்) ரூ.3 கோடிக்கு மேற்பட்ட தொகைக்கு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரொக்கமாக செலுத்தும் போது 2% வரி / டி.டி.எஸ் பிடித்தம் செய்யப்படும். ஒரு நிதியாண்டில் ரூ.3 கோடி என்ற வரம்பு ஒவ்வொரு வங்கி அல்லது அஞ்சலகக் கணக்குக்கும் பொருந்தும், வரி செலுத்துவோரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அல்ல.

வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்த கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு மட்டுமே இந்த நிவாரணம் கிடைக்கும். (ஆ) பிரிசுள் - பிரிசுள் மற்றும் அதன்

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே பண பரிவர்த்தனைகள் / கடன் வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டது பிரிவுகள் 269SS/269T

i) தொடக்க வேளாண்மைக் கடன் சங்கங்கள் (பி.சி.ஏ.எஸ்) மற்றும் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண்மை மற்றும் ஐராக வளர்ச்சி வங்கி (பி.சி.ஏ.ஆர்.டி.பி) மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு ரொக்க பரிவர்த்தனை (வைப்பு / கடன்) வரம்பு ரூ.20,000/ லிருந்து ரூ.2 லட்சமாக உயர்த்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.20,000/க்கு பதிலாக ரூ.2 லட்சம் ரொக்க பரிவர்த்தனைகளுக்கு (வைப்பு / கடன்) மேல் இருந்தால் மட்டுமே 100% அபராதம் விதிக்கப்படும். பிரிவு 269 ST பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் முறை (வைப்பு / கடன்): எந்தவொரு நபரும் (பிரிசுள் / பிரிசுள்-ஆர்.டி.பி) இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகையைப் பெறக்கூடாது ன். ஒரு நாள் இலகு நபரிடமிருந்து மொத்தமாக; அல்லது பெறாதது வரை; அல்லது C. ஒரு திகழ்வு அல்லது எந்தப்பும் தொடர்பான கொடுக்கல் வங்கிகள் தொடர்பில் ஒரு நபரை உருவாக்குதல்-குறிப்பு: 30 ஆம் திகழியிட்ட சற்றறிக்கை இலக்கம் 25/2022 மூலம் சிபிடிபிடி வெளியிடப்பட்ட தெளிவுகளைத் தவிர்த்தல் டி.டி.எஸ், 2022 கூட்டுறவுச் சங்கங்களைப் பொறுத்தவரை டி.டி.எஸ் / விநியோகஸ்தா ஒப்பந்தம் தொடர்பானதாக இருக்கலாம். (இ) கூட்டுறவுச் சர்க்கரைச் சங்கங்களுக்கு நிவாரணம்: பிரிவு 155 (19) ஆம் ஆண்டில் வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இல் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட பிரிவு 36 (1) (xvii) இன் கீழ், மத்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட கூட்டுறவுச் சட்டப்பூர்வ குறைந்தபட்ச விலைக்கு (எஸ்.எம்.பி) மேல் கரும்பு வாகுலவதற்கு ஒரு கூட்டுறவுச் சங்கம் செய்த கூட்டுறவுத் தொகைக்கு விலைக்கு அளிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், 201516 நிதியாண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் இத்தகைய செல்லிணங்குகள் பிடித்தங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை, மேலும் கூட்டுறவுச் சர்க்கரைச் சங்கங்கள் முந்தைய ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து நிவாரணம் கோரின.

ii) இப்போது வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 155 ல் புகிய உட்பிரிவு (19) சேர்க்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கூட்டுறவுச் சங்கத்தால் கோரப்பட்ட மற்றும் 2014 ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முந்தைய ஆண்டில் (ஆகவது 201415 மற்றும் அதற்கு முந்தைய நிதியாண்டு) வருமான வரித் துறையால் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ அனுமதிக்கப்படாத கொள்முதலில் ஏதேனும் விலைக்கு அளிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டுறவுச் சங்கத்தால் மதிப்பீட்டு அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பத்தின் பேரில், அந்த அனுமதிக்கான மொத்த வருவாயை மறு கணக்கிடுவதற்கான வேண்டுகோளுடன், முந்தைய ஆண்டில் அரசால் நிறுவப்பட்ட அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையில் சமமான அல்லது அதற்கு குறைவான விலையில் பிடித்தம் செய்ய அனுமதிக்கப்படும்.

iii) இந்த திருத்தம் 2023 ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். ஏப்ரல் 1, 2023 முதல் 4 ஆண்டுகளுக்குள் கூட்டுறவுச் சங்கம் அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டின் மொத்த வருமானத்தை மீண்டும் கணக்கிடுவதற்கான கோரிக்கையுடன் மதிப்பீட்டு அலுவலரிடம் ஒரு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அத்தகைய செல்லிணங்குகள் இல்லாத ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் தனித்தனி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய செல்லிணங்குகள், வருமானத்தை கணக்கிடுதல் போன்ற விவரங்களை அடல் மதிப்பீட்டு உத்தரவு நகல்கள், அரசிடம் இருந்து கரும்பு விலை ஒப்புதல், வரி செலுத்திய சலுகைகள் போன்றவற்றின் நகல்களுடன் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வருமான வரி ரீசுபண்ட

மீதான வட்டியும் கோரப்பட வேண்டும். iv) 154வது பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆண்டு முடிந்த ஒரு வருடத்திற்குள் மதிப்பீட்டு அலுவலரால் திருத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும். v) கூட்டுறவுச் சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு வழங்கப்படும் ரீசுபண்ட தொகை ரூ.10,000 கோடி மற்றும் தோராயமாக அதே தொகையின் வட்டி ஆகும். (ஆ) புகிய உற்பத்தி கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு நிவாரணம்: பிரிவு: 115BAE

i) 202324 நிதியாண்டு (ஏசுடி 202425) முதல் இந்திய கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு பிரிவு 115 பிரிவு இன் கீழ் கூறப்பட்டுள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் 15% சலுகை வருமான வரி விதித்ததை வழங்க வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இல் புகிய பிரிவு 115 பிரிவு சேர்க்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. லீவி) கூட்டுறவு உற்பத்திச் சங்கம் சலுகை வருமான வரி விதித்ததைத் தவிர்த்தெடுப்பதற்கான முழுமையான வரி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க குறிப்பிட்ட தேதியில் அல்லது அதற்கு முன்னர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் விரும்பத்தைய யளப்படுத்த வேண்டும். இந்த விரும்பும் செயல்படுத்தப்படும் உட்புள்ள அடுத்தடுத்த மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கு பொருந்தும் மற்றும் அதே அல்லது வேறு எந்த முந்தைய ஆண்டிற்கும் திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படாது. கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மொத்த வருமானம் இப்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிடித்தங்கள் ஏதுமின்றியும், முந்தைய மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட எந்தக் குறைபாடுகளுக்கும் இடமில்லாத அல்லது தேயமானம் ஏற்படாமலும் கணக்கிடப்படும். (உ) கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு டி.டி.எஸ் பொருத்தாத தொகை மற்றும் நிவாரணம்: பிரிவு 155 (20) ல் சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு கூட்டுறவு / உறுப்பினர் (மதிப்பீட்டாளர்) ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியாண்டிற்கான (முந்தைய ஆண்டு) வருமானத்தில் ஒரு

வருமானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், ஆனால் அத்தகைய வருமானத்தின் மீதான டி.டி.எஸ் அடுத்த அல்லது கழிப்பாளரால் கழிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய எந்தப்பத்தில், டி.டி.எஸ் உரிமைகோரலுக்கு கிடைக்காது என்பதால் வருமானம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு ஆண்டு அல்லது பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஆண்டில் வரி செலுத்துபவர் டி.டி.எஸ் தொகையை கோர முடியாது, ஏனெனில் முந்தைய ஆண்டில் வருமானம் ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் வருமானம் வெளிப்பாட்டு இல்லாமல் டி.டி.எஸ் அனுமதிக்கப்படாது. லீவி) இந்த சிரமத்தைப் போக்க, வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 155 இல் ஒரு புகிய துணைப் பிரிவை (20) சேர்க்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கும் சட்டத்தின் பிரிவு 139 இன் கீழ் மதிப்பீட்டாளரால் வழங்கப்பட்ட வருமான அறிக்கையில் ஏதேனும் வருமானம் சேர்க்கப்பட்டு, அத்தகைய வருமானத்தின் மீது டி.டி.எஸ் கழிக்கப்பட்டு அடுத்த நிதியாண்டில் மத்திய அரசின் வரவுக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த புகிய உட்பிரிவு பொருந்தும். லீவி) அல்லவாறான நிலையில், வரி செலுத்துபவர் அத்தகைய டி.டி.எஸ் கழிக்கப்பட்ட நிதியாண்டின் முடிவில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் மதிப்பீட்டு அலுவலருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மதிப்பீட்டு அலுவலர் சட்டத்தின் பிரிவு 154 இன் கீழ் மதிப்பீட்டு ஆண்டு தொடர்பான உத்தரவை திருத்த வேண்டும். இந்த திருத்தம் 2023 அக்டோபர் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். (தி) கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான வரி 18.5 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாக குறைப்பிரிவு 115 (20) i) வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 115 (20) i) ன்படி கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான மாற்று குறைந்தபட்ச வரி விதித்த 18.5 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 115 பிரிவு இன் கீழ் வருமானத்திற்கு வரி விதிக்கப்படும் கூட்டுறவுச் சங்கத்தைத் தவிர. இன் மூலம் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் வரிச்சுமை புத்தக

லாபத்தில் 3.5 சதவீதம் குறையும். (ஆ) உறுப்பினர்கள் / கூட்டுறவுகள் / பிரிசுள் மூலம் ஐடிஆர் தாக்கல் செய்யாத முக்கியத்துவம் பிரிவு 80 H பிரிசுள் குறைந்தபட்சம் நன்மைகள்: i) அனைத்து பிரிசுள் களுக்கும் ஜூலை 31 அல்லது அதற்கு முன்பு வருமான வரி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் மற்றும் முந்தைய நிதியாண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட பிரிசுள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி வருமான வெளிப்பாட்டு இல்லாமல் டி.டி.எஸ் இலாபங்கள் அல்லது இழப்புகள் முக்கியமல்ல. iii) அத்தகைய பிரிசுள் கள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் 80 H இன் கீழ் தங்கள் இலாபத்தில் 100% பிடித்தம் பெற தகுதியுடையவர்கள். லீவி) அத்தகைய பிரிசுள் நஷ்டத்தை சந்தித்தால், அடுத்த 8 மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கு அதை முன்னெடுத்துச் செல்லலாம், மேலும் அத்தகைய இழப்பை 8 ஆண்டுகளுக்குள் எதிர்கால இலாபங்களை மீண்டும் கொடுக்கலாம். (எ) கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான மேல் (குறைந்தபட்ச மாற்று வரி) குறைப்பு: வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 115 (20) i) ன்படி கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கான மாற்று குறைந்தபட்ச வரி விதித்த 18.5 சதவீதத்தில் இருந்து 15 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இன் மூலம் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் வரிச்சுமை புத்தக லாபத்தில் 3.5 சதவீதம் குறையும். (1) கூட்டுறவு நிறுவணங்களுக்கான கூடுதல் வரி குறைப்பு: 1 கோடியில் இருந்து 10 கோடியாக உயரும் வருமானத்திற்கு 12 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாக கூடுதல் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மறுப்பு: வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிற விதிக்கான சேமிக்கப்படும், மேற்கண்ட வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம். இந்தக்காக உறுப்பினர்கள் / கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் / பிரிசுள் அத்தகைய நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும்.

Owned & Published by B.SASIKALA, 70, Sangakiri Main Road, Nethimedu, Salem-Tk. Salem Dt., Pin : 636 002. Printed by A.R. BHARATHIRAJA, at RAMANA PRESS, 515, Annapuram, Junction Main Road, Salem TK., Salem Dt., Pin : 636 004. Cell : 944889 75658, Email : jiammarasu2011@gmail.com Editor : A.R.BHARATHIRAJA@SHAKTHIBARATHI








# కోఆపరేటివ్ సెక్టార్లో పన్నుల సడలింపు

వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ, హైదరాబద్, ఫిబ్రవరి 20: ఇటీవల యూనియన్ లెవెల్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల, కోఆపరేటివ్ సెక్టార్లో పన్నులు, సడలింపులలో ప్రభావం ఉందని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కో ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ (ఐసీఎం) డైరెక్టర్ హెచ్.ఎన్.కె తంగిరాల అన్నారు. సోమవారం రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ తన కార్యాలయంలోని ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన 'కోఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్స్, కోఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్ రిజిస్ట్రార్, ఆసోసియేట్, రిజిస్ట్రార్లకు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సహకార సంఘాలకు నగదు ఉపసంహరణ పరిమిత రూ. కోటి నుంచి రూ. 3 కోట్లకు పెరిగిందని, నగదు లావాదేవీల (డిపాజిట్ రుణం) పరిమిత రూ. 20వేలు ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు ( టీసీఎస్), ప్రాథమిక సహకార వ్యవసాయ, గ్రామీణ అభివృద్ధి బ్యాంకుకు ( టీసీఎఆర్డీసీ ) కు రూ. 2 లక్షల నగదు లావాదేవీలు ( డిపాజిట్ లోన్) దాటితేనే 100 శాతం జరిమానా వర్తిస్తుందన్నారు. కొత్త ఉత్పాదకత సహకార సంఘాలకు 2023 -24 ఆర్థిక సంవత్సరం, భారతీయ సహకార సంఘాలకు 15 శాతం రాయితి ఆదాయపు పన్ను రేటును అందించడానికి చట్టం 1961లో కొత్త సెక్షన్ ఆమలు పర్చించన్నారు. 215 బీ.ఏ, ఈ చేర్చాలని ప్రతిపాదించారన్నారు. యూ.ఎన్ సెక్షన్ 115, బీఏఈ వేర్కొన్నాయన్నారు. టీడిఎస్ సరిపోవాలని మొత్తం, ఇతరులతో సహా సహకార సంస్థలకు ఉపకమనం ( సెక్షన్ 155, (20) ఏదైనా అసెస్మెంట్ ఏడాదికి చట్టంలోని సెక్షన్ 138 కింద మదింపు దారు



మాట్లాడుతున్న డైరెక్టర్ హెచ్.ఎన్.కె తంగిరాల

విధించున్నట్లు, సహకార సంస్థలపై 3.5 శాతం వుత్పక లాభాలపై పన్నుభారాన్ని తగ్గిస్తుందన్నారు. సహకార సంస్థలకు ఎంపిటి ( కనీస ప్రత్యామ్నాయ పన్ను ) తగ్గింపు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 115 జేసీ ప్రకారం సహకార సంఘాలకు ప్రత్యామ్నాయ కనీస పన్ను రేటు 18.5 నుంచి 15 శాతానికి తగ్గించారన్నారు. తద్వారా సహకార సంఘాలపై 3.5 వుత్పక లాభాలపై పన్నుభారం తగ్గుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు, దేశంలోని కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి 60 మంది అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ద్వారా అందించబడిన ఆదాయ రిటర్న్లో ఏదైనా ఆదాయం చేర్చబడినప్పుడు ఈ కొత్త ఉపవిభాగం వర్తిస్తుందన్నారు. సహకార సంఘాలకు పన్నుస్థాన 18.5 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గించారని గుర్తు చేశారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని 115, జేసీ ప్రకారం సహకార సంఘాలకు ప్రత్యామ్నాయ కనీస పన్ను (ఎంపిటి) రేటు 18.5 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు తగ్గించారన్నారు. సహకార సంఘం, దీని ఆదాయ సెక్షన్ 115, బీఏసీ పన్ను

**Title : On Union Budget Taxation and Impact on Cooperatives**  
**Newspaper : Namaste Telangana | 21.02.2023| Page No. | Circulation - 25,00,000**

# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेष चतुर्वेदी) इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के सातवें सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' का पालन करती हैं। बजट प्रस्तावों ने इसे जोरदार समर्थन दिया है। राहत का प्रस्ताव

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए'! 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।

ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

### भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते ढालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिव्यय का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अंशपूँजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।



# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेघ चतुर्वेदी)  
इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के शकरोकार' का पालन करती हैं। बजट प्रस्तावों ने इसे जोरदार समर्थन दिया है। राहत का प्रस्ताव

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए!' 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।

ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

## भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते डालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिक्य का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अशर्पूजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।

# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेष चतुर्वेदी)  
इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकारिक सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए!' 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।

ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

## भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते डालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिक्य का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अशर्पूजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।



# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेघ चतुर्वेदी)  
इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए!' 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।

ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

### भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते डालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिक्य का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अशर्पूजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।

# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेघ चतुर्वेदी)  
इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए!' 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।

ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

## भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते डालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिक्य का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अशर्पूजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।



# महाराष्ट्र को राहत, एमपी सहित अन्य राज्यों के लिए नजीर

## ऐसे मिला शकर सहकारी साहस को केंद्रीय समर्थन

(नीलमेघ चतुर्वेदी)  
इंदौर 20 फरवरी. केंद्रीय बजट प्रस्तावों में महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं को 10 हजार करोड़ रुपए की राहत का प्रस्ताव अपने आप में 'अनेक प्रथम' रिकार्ड बना गया।

यह तो शकर सहकारिताओं का गन्ना उत्पादक सहकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान करने का साहस है, जिसे केंद्र ने भी समर्थन दिया है। महाराष्ट्र का यह सहकारी साहस अन्य राज्यों के लिए सहकारी साहस प्रदर्शन का उदाहरण बन

गया है। महाराष्ट्र शकर का गढ़ है वहीं मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य। महाराष्ट्र का साहस मध्यप्रदेश की तिलहन और गेहूँ उपार्जक सहकारिताओं के लिए नजीर है। इसे लोक समुदाय में 'प्रबल प्रेम के पाले पढ़ मोदी-शाह को विधि बदलते देखा' माना जा रहा है, वहीं सहकारिताओं में %ना जाने किस भेस में कर मुक्तेश्वर मिल जाए!' बजट प्रस्तावों में 10 हजार करोड़ रुपए की राहत से महाराष्ट्र की शकर सहकारिताओं पर 9 हजार करोड़ रुपए का कर भार उतरेगा, वहीं 1 हजार करोड़ सहकारी

शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के शकर उद्योग को मिलेंगे। देश की आधिकांश सहकारी शकर मिलें महाराष्ट्र में हैं और ये अंतरराष्ट्रीय सहकारी परिसंघ (आईसीए) के

### 'प्रबल प्रेम' और 'कर मुक्तेश्वर' प्रकटीकरण

आयकर को किए गए अनुरोध का प्रभाव नहीं हुआ। केंद्र की भी छूट देने संबंधी सीमाएँ हैं। इसलिए सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष बजटीय प्रस्ताव रखा गया। सहकारिताओं को आशा थी कि 'ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए!' 'कर मुक्तेश्वर' के दर्शन हो जाए। ऐसे में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार संवेदनशील हुई। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह सजग हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समर्थन मिला और सर्वोच्च निकाय संसद के समक्ष सहकारिताओं को गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान पर राहत का प्रस्ताव रखा गया। संसद द्वारा इसके पारित किए जाने की पूरी संभावनाएँ हैं।


ऐसे समय आया है, जब इन शकर सहकारिताओं में विविधकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश इथेनॉल तथा अन्य सह उत्पादों में है। प्रस्ताव के पारित होने पर शकर सहकारिताओं में नकदी प्रवाह सुधरेगा।

प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना के तहत लगभग 900 हारवेस्टर मशीनें खरीदी जाएँगी। इनकी गतिविधियों से शकर सहकारिताओं के तुलन पत्रक मजबूत धरातल पर होंगे। कर्ज लेने की क्षमता बढ़ेगी।

## भेदभाव किया दूर

निजी शकर मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को अधिक मूल्य का भुगतान करती है तो उन्हें 'व्यय' खाते डालने की अनुमति है, किंतु सहकारी कारखानों को नहीं। सहकारी कारखानों ने वर्ष 2007 से 2014 तक गन्ना उत्पादक किसानों को खरीदी की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भुगतान किया। यह संपूर्ण राशि 10 हजार करोड़ रुपए है। करारोपण और चुकारे के लिए आय कर के नोटिस मिले। सहकारी क्षेत्र ने स्पष्टीकरण दिया। बताया, 7वाँ सहकारी सिद्धांत 'समुदाय से सरोकार' है। भारत आईसीए का संस्थापक सदस्य है। सिद्धांत को भारत ने भी अंगीकार किया है। एक शकर सहकारी कारखाना लगने पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। सहकारिता में सीमित प्रतिफल की व्यवस्था के चलते आय आधिक्य का समुदाय में ही निवेश होता है। निजी कारखाने बाजार से अशर्पूजी संग्रहण कर सकते हैं, सहकारी कारखाने नहीं। सहकारिताओं को राहत मिली तो निवेश इथेनॉल उत्पादन और हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में होगा। आयकर कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की अपनी सीमा रेखाएँ हैं। शकर सहकारिताओं को नोटिस पर नोटिस मिलते चले गए। लगातार नोटिस मिलने से सहकारी प्रयास और चिंतन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे। ये नोटिस सहकारी कारखानों के कामकाज और अस्तित्व बनाए रखने में बड़ी परेशानी थे।

# LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES



-  NCCT Headquarters
-  VAMNICOM
-  RICM
-  ICM



## NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA)

3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016



011-41096510



secy-ncct@gov.in



www.ncct.ac.in